

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79223

ट्रस्ट डीड-न्यास-पत्र

(भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1982 के अन्तर्गत)



कैलाशी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट (Kailashi Devi Educational Trust)

जन्म कि. कामा देवी निवासी- ग्राम देवासकाटीम, पोस्ट-महराजगंज, जनपद आजमगढ़, 20200 का निवासी है मुख्य नारी/अध्यक्ष/संस्थापक/Chief Trustee/Managing Trustee

1. ट्रस्ट का नाम : कैलाशी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम-देवासकाटीम, पोस्ट-महराजगंज, तहसील-सयड़ी, जनपद आजमगढ़ (20200)
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन:

ट्रस्ट में लगाया गया धन ₹ 11,000.00 (ग्यारह हजार रुपये) नगर धनराशि श्रीमती कामा देवी द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है। भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार एक-एक आधार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आच्छाद करता है। जिसे सम्पत्ति स्वामी घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आधार अन्य व्यक्तियों के लिए अपना लाभ को स्वीकार करेगा।



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979223

## 5. ट्रस्ट के तत्व:

मुख्य ट्रस्टी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तर्कों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकृत का आगार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आच्छादित होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए विचारधाराओं का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट का सचिव/सचिव अपनी सभी सम्पत्ति के स्वामित्व के आगार को आच्छादित करता है। इस प्रकार ट्रस्ट में आगार ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वासपूर्ण आगार की अभिव्यक्ति है।


## 6. ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य:-

1. शिक्षा के क्षेत्र में- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य देशकाल समाज हित में विभिन्न प्रकार के कॉलेजों/संस्थानों का विकास करना है, जिन्हें निम्न प्रकार से विस्तारित किया गया है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य निम्न-निम्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा की शिक्षण संस्थानों प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, लॉ विद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों/आई.टी.आई., सी.बी.एस.सी./आई.सी.एसी. इत्यादि एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र-सम्बन्धित विद्यालय/तकनीकी बोर्ड एवं शासन की पूर्णतया के पर्याप्त इन्वीनियरिंग कॉलेज, चिकित्साकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, सूचना तकनीकी, स्पोर्ट्स शिक्षा, जैन चिकित्साकीय, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनीनधारीय शिक्षा, विशिष्ट बी.टी.सी., बी.एड., तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, अभिव्यक्ति शिक्षा व प्रशिक्षण तथा अन्य आधुनिक प्रशिक्षण की निरालोक व्यवस्था करना।

52/11/19

Handwritten signature

Handwritten text below signature



डॉ. ए. वि. सु. डी. वि.  
प्रा. वि. मद्रास ल. स.  
मि. क. म.  
मै. नं.



ए. वि. सु. डी. वि.  
प्रा. वि. मद्रास ल. स.  
मि. क. म.  
मै. नं.



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979221

3. सेवागार सृजन के क्षेत्र में—सरोजगार अथवा नए हेतु महिलाओं/पुरुषों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, फिल्म उद्योग, हस्त शिल्प, जैसे किलार्ड—कपडों, बुनाई, जूटीयार्ड, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग जैसे चर्म कला, मूर्ति कला, जपरकला बनाना, जलप कला, इत्यादि के विस्तार के लिए आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. शिक्षिता एवं निशक्ता सेवा के क्षेत्र में—शापीन एवं विछड़े क्षेत्रों में जनहितार्थ निशुल्क धर्मार्थ शिक्षितालय/विश्वविद्यालय/मोबाइल/डिस्पेन्सरी, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, अनाथ छात्रालय, विधवा आश्रम, कुटा आश्रम, शिशु पालन गृह, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सॉर्ट स्ट्रे होम आदि की स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात् करना।
5. शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में—विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान के कार्य करना एवं विज्ञान, प्रख्य भारतीय विद्याओं, प्रौद्योगिकी व तकनीकी विषयों पर सेमिनार, गोष्ठियाँ आयोजित कर प्रतिभाशाली छात्रों शोध कर्ताओं व व्यक्तियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करना।

सम्य

6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकालयों, वाचनालयों की स्थापना करना एवं पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन व निशुल्क वितरण करना।
7. देवी आगदा में जिला, राज्य व केंद्रीय प्रशासन का समस्त साधन से समन्वय-समन्वय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा।
8. ट्रस्ट सहकारी, अर्थात् सरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा।



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979220

8. शिक्षण संस्थाओं हेतु किली निजी भूमि का कय-विकय करला तथा जायसकतानुसार इस ट्रस्ट से संबंधित सल्या बरे लीज (पट्टा) पर देना।
9. बीटीसीसी, आईटीआई, बीएच, बीबीएच, कॉलेज, सीपीएचआई, आईसीएचआई, फलिटैक्निक, इंजीनियरिंग, फर्नीचरी, मैनेजमेंट, सीटीसीसी, महिला शिक्षण संस्थाओं आ लेवल, ली कॉलेज, क्वॉटेन्सीलीजी, कान्ट्री, नैनोंटेन्सीलीजी, कौर्ट, संगीत कालेज/स्कूल की स्थापना तथा उनका संचालन करना।
10. उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रधान की जाने वाली समस्त सैक्युलर, आयासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
11. देश-विदेश से वार्षिक सहयता/अनुदान सैक्युलर नियमों के अन्तर्गत आवेदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थानें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जावेगा।
12. गैर सरकारी संगठन (NGO) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं तथा-आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्ध-आश्रम, विधिविराह्य, वृष्ट आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक, तकनीकी, प्राथमिक, विधिविराह्य संस्थाओं आवेदि को ट्रस्ट (न्याय) में विधीन (समाहित) करना एवं उनकी ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना।



54/100/31

*[Handwritten signature]*  
7-8-80

श्री १०८ पार्क  
कोलकाता-७०





भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 979219

14. राजस्व, सामुदायिक, मत्स्य, मत्त, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनकी स्थापना एवं प्रबोधन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना।
15. जनशिक्षा नियंत्रण, एक्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्यओं तथा सामाजिक कुसृष्टियों, कुतर्कों तथा विवाहों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं का समय स्थान से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्ण (पब्लिक वीरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
16. कृषि, बागवानी, पशुपालन, पृथु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का कल्याण, सहाय्य निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वीछीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान। केंद्र, नागरिक उद्योग, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, निकित्ता शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि। संस्कृत शिक्षा, वन आवारा, एव गहरी नियोजन, मत्स्य विकास एवं वीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्टेल्स, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, प्राणीय अभिवृद्धि, स्वास्थ्य एवं निकित्ता, आपूर्ण एवं होमोपैथिक निकित्ता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य सनिज कार्य, खेल-कूद, युवा कल्याण, खादी एवं प्राथमिक, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्योग, पर्यावरण सधु उद्योग, स्वयंसेवा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, भस्म, निकित्ता कल्याण, पंचायतीराज, आवासीय, प्राणीय संजगर एव गहरी उन्मूलन, नागरिक सुख, न्याय एवं विवाही संस्थाएँ, नियोजन, निर्वाचन एवं परवर्तीराज, बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साक्षरता, समन्वय, सार्वजनिक उद्योग,



*[Handwritten signature]*  
श्रीमान श्री [Name] -  
[Address]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979218

सूचना एवं जन संपर्क, अल्प संख्यक कानून, कृषि विपणन, निर्गत प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवाएँ, प्राणी चरान, एकस नियंत्रण, स्वच्छीकरण, अपवादाचार, पंचायत एवं स्वच्छता, सार्वजनिक समितियाँ, सार्वजनिक एवं वैयक्तिक शिक्षा कल्याण, सार्वजनिक विद्या एवं सर्वोदित बीमा, स्थानीय विकास, युवाजी शिक्षा, प्रशस्तान एवं प्रबन्धन संस्थाएँ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिपोर्ट संन्धि, ललितकला, विज्ञान, वैयक्तिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, आन्तरिक लेखापरीक्षा, संघीय, राटक स्वायत्ता संघान संघानी, उपभोक्ता हेतु संस्थाएँ भूमि सुधार, सम्बन्धन, विचार, विन्द एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्युटर तथा अन्य हेतु के विकास हेतु संस्थाएँ आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। अथवा अधिनियम 1981 की धारा 13(1) तथा धारा-11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुसार न्याय के घन विभिन्न योजनाओं में समाप्त।

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू तथा अन्य राज्य भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कालेज, कृषि कालेज, डिग्री कालेज, रीजियल एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्राविधिक, तकनीकी, निजी विश्वविद्यालय केंद्री आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 14जी, 18/23 व 35ए को अवगत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजनाओं को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले वर्गम लोगों को उभारन एवं जायाविना करना आदि।



56/100/181

Handwritten signature or name in Hindi script.

महाराष्ट्र कायदा विभाग  
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature area.

Faint, illegible text at the very bottom of the page.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979217

### 17. ट्रस्ट के धन संबंधी कार्य—

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा किया गया एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले किसी भी बैंक के खाते में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। धनराशि के लेन-देन करने तथा बैंक खाता का संचालन मुख्य ट्रस्टी/अथवा कोषाध्यक्ष के द्वारा किसी एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित किसी ट्रस्टी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।
2. इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं वसूली संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

### 18. ट्रस्टियों की नियुक्ति—

1. सभी ट्रस्टी आजीवन सदस्य होंगे, किसी भी सदस्य के मृत्यु उपरान्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत के अन्धार पर नये ट्रस्टी को सम्मिलित कर सकता है जिसके लिए शुल्क—11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) होगा। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ट्रस्टी/अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा उत्तराधिकारी को नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार स्वतः प्रयत्न होगा, मुख्य ट्रस्टी के आकस्मिक मृत्यु पर उनका विधिक उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का स्वतः मुख्य ट्रस्टी/हो जायेगा। भविष्य में इस ट्रस्ट हेतु विवाह विरोधज्ञी, सरकार द्वारा नामित सदस्यों के समावेश हेतु मुख्य ट्रस्टी को स्वतः अधिकार प्राप्त होंगे।

52/110/51

*[Handwritten signature]*  
1-2-2020

विद्यापीठ शिक्षण  
अधिकारी, मुंबई





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 979216

### 19. संघालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य

द्वस्ट द्वारा संघालित निधालय/महाविद्यालय/अन्य तकनीकी संस्थाओं जो द्वस्ट द्वारा संघालित होंगे, की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य द्वस्टी एवं द्वस्टी मिलकर करेंगे। यदि मुख्य द्वस्टी व अन्य द्वस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य द्वस्टी एवं द्वस्टी मिलकर 2/3 बहुमत की आधार पर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति द्वारा नामित करेंगे।

### 20. बोर्ड ऑफ द्वस्टी

बोर्ड ऑफ द्वस्टी में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे-

क्रमिक	नाम	पता	पदनाम
1.	रमेश कुमार यादव पुत्र श्री मोतीलाल यादव	ग्राम - देवासकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 20200	मुख्य न्यायी / अध्यक्ष / संस्थापक / Chief Trustee/ Managing Trustee
2.	श्री विवेकानन्द यादव पुत्र रामेश कुमार यादव	ग्राम - देवासकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 20200	अध्यक्ष / सचिव / द्वस्टी
3.	श्री अविषेक कुमार यादव पुत्र रामेश कुमार यादव	ग्राम - देवासकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 20200	सोपाध्यक्ष / द्वस्टी


10



509 / 100 / 151

*[Handwritten signature]*

महाराष्ट्र शासन  
अर्थ विभाग





भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 979215

4.	रामा देवी पत्नी सर्बेश कुमार यादव	ग्राम - देवाराकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 30980	सदस्य/ट्रस्टी
5.	स्नेहा यादव पुत्री शशीश कुमार यादव	ग्राम - देवाराकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 30980	सदस्य/ट्रस्टी
6.	मोनिक्का यादव पुत्री शशीश कुमार यादव	ग्राम - देवाराकटीम, पोस्ट- महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, 30980	सदस्य/ट्रस्टी
7.	श्री राहुल यादव पुत्र रामकृष्ण यादव	ग्राम व पोस्ट- बरोही फतेहपुर, जनपद आजमगढ़	सदस्य/ट्रस्टी

## 21. ट्रस्ट की बैठक:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्धकारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी  
जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को 60 दिन पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक  
जिसी की समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है. बैठक अवकाश की  
अनुमोदन से प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलाई जायेगी बैठक में समस्त ट्रस्टियों को  
2/3 ट्रस्टियों का होना आवश्यक है।

## 22. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य:

59/1/20/75/1

*[Handwritten signature]*  
2-8-75

श्री १०८ नं० १०००-१  
श्री १०८ नं० १०००-१

कोषागार कार्यालय  
21.10.75  
[Stamp]



*[Faint, illegible text, likely the main body of a letter or official communication.]*

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 199273

1. अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सभ की अध्यक्षता करने तथा मीटिंग बुलाने हेतु सचिव को निर्देशित करने।
2. मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव:
  - (i) संस्थाक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।
  - (ii) मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यक्षेत्र में दिए गये निर्देश सर्वोच्च होने।
  - (iii) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
  - (iv) किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
  - (v) आवश्यक अवसरों पर हस्तक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
  - (vi) ट्रस्ट के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श एवं कार्यक्रमों का निर्धारण।
  - (vii) ट्रस्ट (न्यास) के वार्षिक एवं अन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्यास के विकास के लिए विभिन्न संसाधन, तत्सम्बन्धित कार्यकारी से अवगत करना।
  - (viii) मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि-मजद का क्रय बीज (पेटेंट) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरिक करना एवं कार्यों के निस्तारण की परीक्षा करना।

60/50/51

प्रति  
१२/१२/२०

प्रति  
१२/१२/२०



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 199272

- (iv) मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संबन्धित किसी संस्था की धन-अधन सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बंध या शरीद सकता है।
- (v) मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, भण्डा आम जनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसेसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बॉडी इत्यादि से प्राप्तता बिना शर्त शर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करता।
- (vi) संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुयायनव्ययक कार्यवाही, पदोन्नति, निवृत्तन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थाई ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के पास होगा।
- (vii) संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को उत्तरदायक बनाकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्रावधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तरदायिकारी पर लागू नहीं होता है।
- (viii) किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
- (ix) ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असाहमति परिनिर्णयों को विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- (x) ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संबन्धित संस्थाई कार्यकर्मों, क्रिया-कलापों में निर्धारित शर्तों व कान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास को

6/150/51

Handwritten signature

श्री. का. का. का. का.  
का. का. का. का. का.



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 199271

कार्य हेतु नियुक्त करना उसके खिलाफ अनुशासनत्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्याय के ऐसे कार्य को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल जर्दी में विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

- (xxv) ट्रस्ट द्वारा संयोजित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रम, क्रिया-कलापों आदि के समस्त कार्याचार्यों एवं खर्चों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं पेरिटेन्सुल कार्यों में व्यय करना।
- (xxvi) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी की असामयिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात् उसे पारिवारिक विधिक उत्तराधिकारी को उसी पद पर नियुक्त सम्मत् जायेगा।
- (xxvii) ट्रस्ट की ओर से भारत प्रकर की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व अथवा की अनुमति से एवं चाही की पेशी करना।
- (xxviii) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदानपत्र, चेकों, ट्रस्टी बनक विसेन्सों, विल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।
- (xxix) आवश्यक/सचिव मुख्य ट्रस्टी के आदेशों का क्रियान्वयन करना, संस्थाओं के स्थापना हेतु कार्य करना, मुख्य ट्रस्टी के अनुपस्थिति में मुख्य ट्रस्टी के दायित्वों को पूर्ण करना।

## 23. सदस्य ट्रस्टी:

बेटकों में मान लेकर ट्रस्ट के सर्वमान्यता में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थहित बात से सहयोग करना।

पृष्ठ सं.

*[Handwritten signature]*  
दिनांक: 15/05/2017


संविधान सं. 100

पृष्ठ सं.

संविधान सं. 100/2017, संविधान सं. 100/2017, संविधान सं. 100/2017, संविधान सं. 100/2017

संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017

*[Handwritten signature]*



संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017

संविधान सं. 100/2017

*[Handwritten signature]*  
संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017  
संविधान सं. 100/2017





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 199270

## 24. लेखा परीक्षक:

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के मार्ग-दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा अनाधिकृत समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्ट प्रमुख के मार्गदर्शन एवं सहमति से ट्रस्ट के सदस्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह जाय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय-व्यय का हिसाब बिलान कर बराबर लेखा जोलाखा एवं निश्चित रूप से वार्षिक अनुसार अडिट अदि करवायेगा। लेखा परीक्षक संस्था के आय-व्यय वही पत्रों की तब समाप्ति पर जाय हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

## 25. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन:

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का गठन इनकी ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मुख्य ट्रस्टी पुनः अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संघालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कार्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुस्यू होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संघालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संघालित महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिल करेगे। संघालित

131

63/19/51

संकेत सं- 2000/2001/10

*Handwritten signature*

श्री सं- 1


संकेत सं- 10

श्री सं- 1000

संकेत सं- 2000/2001/10

संकेत सं- 2000/2001/10


श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000  
श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000



संकेत सं- 1000


श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000  
श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000



संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000  
श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000



संकेत सं- 1000

संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000

श्री संकेत सं- 1000, श्री संकेत सं- 1000



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 19926B

1. जज	-	एक	2. उपाध्यक्ष	-	एक
3. प्रवक्ता / सचिव	-	एक	4. उपाध्यक्ष/उपसचिव	-	एक
5. कोषाध्यक्ष	-	एक	6. सदस्य	-	दो

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा लिया गया व्यव निर्णय सर्वमान्य होगा, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के वित्तीय गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत से निरस्तित कर सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिकार देने हेतु सक्षम होगा।

अतः यह ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टियों द्वारा सती खुली से बिना सहकारी व मित्राये व बिना किसी नातायुक्त पक्ष के अपने पूर्ण होरा-हवाला में परिष्करीयनी से सलाह मशवरा कर के लिख दिया ताकि शनद रहे और समय पर काम आवे।

रजिस्टर्ड तारीख-

  
हस्ताक्षर  
चीफ ट्रस्टी ट्रस्टीकर्ता  
कैलाशी देवी एप्लोडेशनल ट्रस्ट

संस्थागत मजदूर

- 1- दुर्गा मिश्र 36 नैनीताल विभाग  
मजदूर वर्ग - नैनीताल - आजमगढ़
- 2- रामसागर शर्मा 1/2 की गैलरीय भाग  
मजदूर वर्ग - नैनीताल - आजमगढ़

65/3-181

कार्यक्रम सं. 202009045001162

*[Handwritten signature]*

यहाँ संख्या 4 दिनांक 07.07.2020 से 130 तक क्रमांक 08 पर  
लिखित। कृपया कृपया को-ऑर्डिनेटिंग किया गया है।

आपका विश्वसनीय, [Signature]

विश्वविद्यालय अधिकारी के द्वारा

*[Red handwritten signature]*

अविनाश मिश्र प्रभारी  
प्रानिबंधक - सहाय  
आजमगढ़  
03/07/2020

